11-04-19 अपीलार्थी एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुन-
कर आदेश लिखवाया गया। प्रकरण
में कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः अपीलान्ट
की अपील अदम हाजरी [illegible] अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। प्रकरण [illegible]
[illegible] बाद तकमील पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)